





Google Meet - Meet - mum-cbs-fpb

DGP HQ UP (Presenting, annotating)

1. **Frauded Amount को Lien करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया है:-**

- पीडित 1930 पर कॉल करता है तो शिकायत Submit होने के बाद लेयर-1 के बैंक द्वारा Automatic Lien लगाया जाता है, लेकिन धनराशि अगर लेयर-1 से निकलकर आगे हस्तान्तरित हो गयी है तो बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के नोडल अधिकारियों से सम्पर्क व समन्वय स्थापित कर जल्दी से जल्दी धनराशि को Lien करवाना है। I4C, MHA और साइबर क्राइम मुख्यालय स्तर पर यह कार्य CITIZEN FINANCIAL MITIGATION CENTRE (CFMC) के जरिये किया जाता है।
- इसके लिए जरूरी है कि पीडित की शिकायत यथाशीघ्र NCRP पर दर्ज करायें। इस सन्दर्भ में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलायें।
- cybercrime.gov.in के तहत दर्ज शिकायतों में Automatic Lien नहीं लगता है। ये शिकायतें NCRP के Sent to Intermediaries Option पर Click करके बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को भेजना होता है।
- Interim Complain/Reassign Complain में शिकायतकर्ता से समन्वय स्थापित कर जल्दी से जल्दी शिकायत पूर्ण करवाना और उक्त प्रक्रियाओं के तहत धनराशि Lien करवाना।

2. **Mobile/IMEI Blocking/Unblocking-** दर्ज सभी शिकायतें समस्त थानों व जनपद/DGP की

12:14 PM | mum-cbs-fpb

19 others ADO Zana kanyar

ENG NATL 12:14 PM 10/06/2025

